ए.

बालासोर एलॉयस लिमिटेड

वी.

मीडिया एल. एल. सी.

(मध्यस्थता याचिका (सिविल) सं. 15/2020) सितंबर 16,2020

बी.

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

सी.

एस।11 – एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग-आवेदक के पक्ष में प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए 37 खरीद आदेशों की स्थिरता-के तहत आवेदन-पक्षकारों ने भी उसी लेनदेन के संबंध में दिनांक 31.03.2018 पर समझौता किया-37 खरीद आदेशों के खंड 7 पर भरोसा करते हुए आवेदक द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन-प्रत्यर्थी की याचिका कि पूरा लेनदेन दिनांक 31.03.2018 के समझौते द्वारा नियंत्रित किया गया था जो एक 'अम्ब्रेला एग्रीमेंट' था और उसके खंड 23 के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (ICC) द्वारा किया जा चुका था-आयोजितःआवेदक द्वारा कीमत और वसूली सहित भुगतान की शर्तों के संबंध में उठाए गए विवाद की प्रकृति को देखते हुए, पक्षकार दिनांकित समझौते के खंड 23 द्वारा शासित होंगे न कि खरीद आदेश के खंड 7 द्वारा-इसलिए, आई. सी. सी. द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के खिलाफ आवेदक की शिकायत के संबंध में विशेष अनुमति याचिका पर भी विचार नहीं किया जा सकता है।

डी.

ई.

मध्यस्थता आवेदन और विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए**,** न्यायालय

एफ.

पकड़नाः

2020 की मध्यस्थता याचिका **(**सिविल**)** संख्या **15:**

1. चूंकि पक्षों के बीच किया गया लेन**-**देन और विवाद विवाद में नहीं होने के कारण उत्पन्न हुआ है**; 37** अलग**-**अलग खरीद आदेशों में से आगे मध्यस्थता खंड **7** स्पष्ट है**;** एक सामान्य परिस्थिति में अधिनियम**, 1996** की धारा **11** के तहत एक आवेदन में विचार के लिए सीमित दायरे में किसी अन्य विचार की आवश्यकता नहीं होती।हालांकि**,** इसमें

जी.

एच.

1036 ए.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मीडिया एलएलसी ए

1037

वर्तमान मामले में तथ्य यह है कि निर्विवाद रूप से **31.03.2018** दिनांकित एक समझौता भी उसी लेनदेन से संबंधित पक्षों के बीच किया जाता है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा "अम्ब्रेला एग्रीमेंट" और आवेदक द्वारा "मूल्य निर्धारण समझौता" के रूप में संदर्भित किया जाता है।उक्त समझौते में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए भी प्रावधान किया गया है जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है।**[**पैरा **7] [1042-**जी**-**एच**; 1043-**ए**]**

बी.

2. दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि वर्तमान मामले में आवेदक ने मध्यस्थता खंड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से उसके वकील द्वारा दिनांकित **13.03.2020 (**अनुलग्नक **A-41)** का एक नोटिस आवेदक को जारी किया गया था जिसमें दिनांकित **31.03.2018 (**अम्ब्रेला एग्रीमेंट/प्राइसिंग एग्रीमेंट**)** के समझौते के उल्लंघन का उल्लेख किया गया था और उक्त समझौते के खंड**-23** के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का अवसर प्रदान किया गया था**,** जिसमें विफल रहने पर यह संकेत दिया गया था कि प्रत्यर्थी **30** दिनों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल **(ICC)** से संपर्क करेगा।यह प्रत्यर्थी द्वारा **13.04.2020** पर जारी किए गए उक्त नोटिस दिनांक **13.03.2020** के जवाब में है**,** जिसमें आवेदक ने इसे मूल्य निर्धारण समझौते के रूप में संदर्भित करते हुए दिनांकित **31.03.2018** समझौते के तहत प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे पर विवाद किया है।इसके अलावा**,** आवेदक ने इसके बाद अपने दावे की प्रकृति का उल्लेख किया और उस पर यह संकेत देने के लिए आगे बढ़ा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन और मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन अनुबंध की शर्तों के

खंड**-7** के अनुसार होगा जो सभी व्यक्तिगत अनुबंधों का हिस्सा होगा और उन्हें नियंत्रित करेगा।**[**पैरा **9] [1045-**सी**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में**,** जब दोनों**,** खरीद आदेश और मूल्य निर्धारण समझौता भी कायम रहता है और दोनों उक्त दस्तावेजों में मध्यस्थता खंड होते हैं जो एक दूसरे के समान नहीं हैं**,** तो मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए उक्त दो दस्तावेजों को सामंजस्य में पढ़ना होगा या सुलह करना होगा ताकि पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद की प्रकृति पर ध्यान दिया जा सके**,** जिसके लिए मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की आवश्यकता होगी और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या अधिनियम**, 1996** की धारा **11** के तहत दायर तत्काल आवेदन टिकाऊ होगा ताकि खरीद आदेश के खंड**-7** को लागू करके मध्यस्थ नियुक्त किया जा सके।

एफ.

जी.

एच.

विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां दिनांकित समझौते के खंड**-23** के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन पहले ही किया जा चुका है।**[**पैरा **10] [1045-**जी**-**एच**; 1046-**ए**]**

4. आवेदक द्वारा दिनांक **13.4.2020** के उत्तर के अनुच्छेद **6,7,8** और **9** को बारीकी से देखने से यह संकेत मिलता है कि आवेदक द्वारा मूल्य और व्यक्तिगत अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले भुगतान की शर्तों के संबंध में किया गया संदर्भ मूल्य निर्धारण समझौते के संदर्भ में है जो वास्तव में दिनांकित **31.03.2018** का समझौता है।उस संदर्भ में**,** मूल्य निर्धारण समझौते के **5,8,9** और **10** शब्दों से संकेत मिलता है कि यह खरीद और बिक्री से संबंधित तंत्र प्रदान करता है**;** अंतिम मूल्य**,** अनंतिम मूल्य का भुगतान और अग्रिम का समायोजन**,** अंतिम बिक्री मूल्य का निर्धारण और मासिक लेखा और भुगतान।उसी पर ध्यान देने पर**,** आवेदक द्वारा निर्भर खरीद आदेश में अनुबंध की शर्तों का अवलोकन**,** आदेशित मात्रा की कीमत और अनंतिम मूल्य आदि से संबंधित विशेष शर्तों को संदर्भित करने वाले खरीद आदेश को छोड़कर**,** मूल्य निर्धारण का ऐसा निर्धारण प्रदान नहीं करता है। इसलिए**,** उस परिस्थिति में आवेदक द्वारा स्वयं दिनांकित उत्तर सूचना में उठाए गए विवाद की प्रकृति

इंगित करेगी कि उन पहलुओं को दिनांकित समझौते में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है जो परिणामस्वरूप प्रत्येक खरीद आदेश के तहत किए जाने वाले भुगतान के लिए प्रासंगिक होंगे।इसलिए, भले ही अनुबंध की शर्तों के संबंध में विवाद उठाए जाते हैं, मूल्य निर्धारण, कटौती आदि मुख्य समझौते से संबंधित होंगे और इसके तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण व्यक्तिगत खरीद आदेश की अनुबंध शर्तों के तहत यदि कोई उत्पन्न होता है तो अन्य मुद्दों पर भी जा सकता है।**[**पैरा **12] [1047-**सी-एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

5. यह कहना सही नहीं है कि **31.03.2018** दिनांकित मूल्य निर्धारण समझौते को पहले के खरीद आदेशों पर लागू नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वास्तव में लेनदेन **08.08.2017** पर शुरू हुआ था और **21** खरीद आदेश **30.03.2018** यानी **31.03.2018** से पहले यानी उस तारीख तक दिए गए थे जिस दिन मूल्य निर्धारण समझौते को निष्पादित किया गया था।**31.03.2018** दिनांकित समझौते के खंड**-20 (**ए**)** में प्रावधान है कि समझौता **31.03.2017** से शुरू होगा और **31.03.2021** पर समाप्त होगा।यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पक्षों का इरादा था कि समझौते में निहित शर्तें सभी लेनदेन को नियंत्रित करेंगी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो

जी.

एच.

08.08.2017 से शुरू हुआ था।इसके अलावा यह देखा गया है कि पार्टियों को पहले एक समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो कि **2000** मीट्रिक टन की निश्चित मात्रा के लिए था, जबकि वर्तमान समझौता, पार्टियों के अनुसार, एक दीर्घकालिक आधार पर उस समय अवधि को निर्धारित कर रहा था जिसके लिए यह वैध था और व्यक्तिगत खरीद आदेशों को प्रत्येक लेनदेन के तहत आदेशित विशिष्ट मात्रा के लिए ध्यान में रखना होगा, जिसका मूल्य अंततः मूल्य निर्धारण समझौते के तहत प्रदान किए गए अनुसार निर्धारित किया जाना था।**[**पैरा **13] [1047-**जी-एच**; 1048-**ए-सी**]**

बी.

6. इस प्रकार**,** जब स्वीकार किया जाता है कि पक्षों ने दिनांक **1** का समझौता किया था और उसमें निहित नियमों और शर्तों के लिए सर्वसम्मति थी जो व्यापक है और लेन**-**देन की सभी शर्तों को शामिल करती है और ऐसे समझौते में एक मध्यस्थता खंड भी शामिल है जो खरीद आदेश में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड से अलग है जो अधिक विशिष्ट विवरणों के साथ उपज की आपूर्ति के सीमित उद्देश्य के लिए है जो दिनांक **1** के समझौते से उत्पन्न होता है**;** दिनांक **1** के मुख्य समझौते में खंड **23** में निहित मध्यस्थता खंड पक्षकारों को नियंत्रित करेगा क्योंकि उनके द्वारा मूल्य और वसूली सहित भुगतान की शर्तों के संबंध में उठाए गए विवाद की वर्तमान प्रकृति। उस दृष्टिकोण से**,** आवेदक के लिए खरीद आदेशों के खंड**-7** को लागू करना अधिक उचित नहीं होगा**,** विशेष रूप से जब समझौते में निहित मध्यस्थता खंड दिनांक **31.03.2018** को लागू किया गया है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहले ही **22.06.2020** पर नियुक्त किया जा चुका है।**[**पैरा **14] [1048-**डी**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाममीना विजय खेतान

& ओआरएस। (1999) 5 एससीसी 651:[1999] 3 एस. सी. आर. 490-पर निर्भर।

एस**.** एल**.** पी**. (**सी**)** नं**. 2020** का **10264:**

7. दिनांक **1** के समझौते के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से व्यथित होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने के आदेश की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है कि दिनांक **1** के मूल्य निर्धारण समझौते का मध्यस्थता खंड**-23** अमान्य है और उस संदर्भ में मुकदमे में सहायक राहत की मांग की गई है।उक्त मुकदमे में याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है

जी.

एच.

आई**.** सी**.** सी**.** द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतर्वर्ती आदेश की मांग करने वाली 'प्रस्ताव की सूचना'। अंतरिम आदेश की प्रार्थना को खारिज कर दिया

गया है और 'नोटिस ऑफ मोशन' को खारिज कर दिया गया है।डिवीजन बेंच में अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया है**,** हालांकि अंतरिम आदेश देने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है**,** विशेष रूप से मध्यस्थता आवेदन **No.15/2020** में प्रतिद्वंद्वी विवादों को संबोधित करते समय उसी विषय पर निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए।**[**पारस **15-16] [1049-A-D]**

बी.

मामला कानून संदर्भ

सी.

[1999] 3 एससीआर **490**

उस पर भरोसा करें

पैरा **8**

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 15।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत आवेदन।

डी.

के साथ

2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10264

मनिंदर सिंह, एस. एन. मुखर्जी, रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता।, गौतम मित्रा, गौरव मित्रा, सुश्री अनुषा नागराजन, रिशद मेडोरा, प्रभास बजाज, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, शौनक मित्रा, सुश्री नंदिनी खेतान, रजत जरीवाल, अनुपिंदर जस्सल, सुश्री श्रेया सिंह, आकाश बजाज, संजीव कुमार, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ई.

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गयाः

एफ.

न्याय

1. आवेदक-बालासोर अलॉयज लिमिटेड इस न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('अधिनियम, 1996') की धारा 11 (12) (ए) के साथ पठित धारा 11 (6) के तहत दायर इस याचिका में प्रार्थना कर रहा है कि आवेदन में निर्दिष्ट 37 खरीद आदेशों के संबंध में पक्षों के बीच उत्पन्न हुए सभी विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक

एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाए।वैकल्पिक रूप से, यह प्रार्थना की जाती है कि दूसरे मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यर्थी-मेडिमा एल. एल. सी. द्वारा अनुबंधों के संदर्भ में एक मध्यस्थ को नामित करने में विफलता के कारण की जाए।2. आवेदक हाई कार्बन फेरो क्रोम का निर्माता है।आवेदक और प्रत्यर्थी ने तदनुसार लेन-देन किया जिसके तहत आवेदक उच्च कार्बन फेरो क्रोम ए की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ।

जी.

एच.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मीडिया एलएलसी ए

1041

उनके द्वारा प्रत्यर्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में बिक्री के लिए निर्मित। प्रारंभ में 2000 एम. टी. की बिक्री तक सीमित 19.06.2017 का एक समझौता किया गया था।इस तरह के लेन-देन के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्येक खरीद आदेश के तहत की जाने वाली आपूर्ति के विवरण को निर्दिष्ट करते हुए आवेदक के पक्ष में 37 खरीद आदेश दिए गए थे।पक्षों ने उसी लेन-देन से संबंधित 31.03.2018 दिनांकित एक समझौता भी किया था, जिसके तहत उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों पर सहमति हुई थी।उक्त लेन-देन के संबंध में पक्षों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है।

बी.

3. इसलिए, आवेदक ने ऐसे विवादों को हल करने के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए उक्त 37 खरीद आदेशों में खंड-7 पर भरोसा करने की मांग की है, जिसमें मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान किया गया है, जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है।चूंकि आवेदक के अनुसार, प्रत्यर्थी अपना मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहा था, याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अमिताव लाला को नामित करने के बावजूद, आवेदक इस न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर रहा है।

सी.

डी.

4. इस याचिका में सूचित किए जाने पर प्रत्यर्थी ने उपस्थिति दर्ज की है और अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया है।पक्षों के बीच किए गए लेन-देन की प्रकृति विवादित नहीं है।यह तथ्य कि पक्षों के बीच कुछ मध्यस्थता विवाद उत्पन्न हुए हैं, भी विरोधाभासी नहीं है। हालाँकि, यह प्रत्यर्थी का मामला है कि पूरा लेनदेन दिनांकित 31.03.2018 समझौते के तहत नियंत्रित होता है जिसे प्रत्यर्थी द्वारा "अम्ब्रेला एग्रीमेंट" के रूप में संदर्भित किया जाता

है।यह उनका आगे का मामला है कि खंड-23 के माध्यम से दिनांकित उक्त समझौते में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान है जैसा कि उसमें इंगित किया गया है और इस तरह प्रत्यर्थी ने पहले ही नोटिस जारी करके इसे लागू कर दिया था।इसके अलावा, खंड-23 में विचार की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रत्यर्थी ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (संक्षेप में 'आई. सी. सी.') के समक्ष एक याचिका दायर की थी और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का विधिवत गठन किया गया है।इसलिए, प्रत्यर्थी का तर्क है कि खरीद आदेश के खंड-7 के संदर्भ में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदक द्वारा दायर तत्काल आवेदन प्रामाणिक नहीं है; आवेदन खारिज होने योग्य है।आवेदक ने प्रत्यर्थी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के लिए प्रत्युत्तर दाखिल किया है जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलों को विवादित होने की मांग की गई है और आवेदन में किए गए कथनों को दोहराया गया है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमने आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. एन. मुखर्जी और श्री रितिन राय को सुना है और आवेदन पत्रों का अध्ययन किया है।

6. अभिवचन में निहित कथनों और संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आग्रह किए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद, यह स्पष्ट है कि पक्षों ने एक व्यावसायिक लेनदेन किया है; उनके बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं जिन्हें मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना है। उस हद तक पक्ष भी सहमत हैं।हालाँकि, विचार के लिए मुद्दा उपयुक्त खंड के संबंध में है जो मध्यस्थता के लिए प्रावधान करेगा और यहाँ तथ्यात्मक मैट्रिक्स में लागू होगा।चूँकि आवेदक इस न्यायालय के समक्ष खरीद आदेश (37 अलग-अलग खरीद आदेश) में मध्यस्थता खंड का आह्वान कर रहा है, इसलिए मध्यस्थता खंड पर ध्यान देना आवश्यक है, जो यहाँ नीचे दिया गया है:

बी.

सी.

“7. आर्बिट्रेशनः इस अनुबंध/आदेश की व्याख्या या कार्यान्वयन से या उसके संबंध में या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों को 3 मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा, जिसमें प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों और उसमें किसी भी संशोधन या पुनः अधिनियमन के अनुसार पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान कोलकाता में होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।मध्यस्थता पुरस्कार अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और पक्षकार इसके लिए बाध्य होने और तदनुसार कार्य करने के लिए सहमत होंगे।जब किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, तो विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर, पक्ष अपने शेष संबंधित अधिकारों का प्रयोग करना जारी रखेंगे और अपने शेष संबंधित दायित्वों को पूरा करेंगे।”

डी.

ई.

एफ.

7. चूंकि पक्षों के बीच किया गया लेन-देन और विवाद विवाद में नहीं होने के कारण उत्पन्न हुआ था; इसके अलावा उपरोक्त निकाला गया मध्यस्थता खंड स्पष्ट है; एक सामान्य परिस्थिति में अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए सीमित दायरे में किसी अन्य विचार की आवश्यकता नहीं होती।हालाँकि, हाथ के मामले में तथ्य यह है कि निर्विवाद रूप से 31.03.2018 दिनांकित एक समझौता भी उसी लेनदेन से संबंधित पक्षों के बीच किया जाता है जिसे "अम्ब्रेला ए" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

जी.

एच.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मीडिया एलएलसी ए

1043

प्रत्यर्थी द्वारा समझौता और आवेदक द्वारा मूल्य निर्धारण समझौते के रूप में।उक्त समझौते में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए भी प्रावधान किया गया है जैसा कि उसमें संकेत दिया गया है।मध्यस्थता खंड पर ध्यान देना उचित होगा जो नीचे दिया गया है:

“23. सरकारी कानून; विवाद

बी.

यह समझौता यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।इस समझौते से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा, विवाद या विवाद या इसके निष्पादन, तीस कैलेंडर दिन की अवधि के बाद पक्षकारों को इस तरह के विवाद को सद्भावना से हल करने में सक्षम बनाने के लिए, उक्त नियमों के अनुसार नियुक्त 3 (तीन) मध्यस्थों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के मध्यस्थता नियमों के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी भाषा में आयोजित मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जो ब्रिटिश कानून के अनुसार लंदन में अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार पर निर्णय उस पक्ष पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी न्यायालय में दर्ज और लागू किया जा सकता है जिसके खिलाफ प्रवर्तन की मांग की जाती है।"

सी.

डी.

8. इस स्तर पर, हमारे लिए निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है

ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाममीना

ई.

विजय खेतान और ओआरएस। (1999) 5 एस. सी. सी. 651 जिसमें इस न्यायालय का सामना एक ही पक्ष के बीच दो संबंधित समझौतों में दो अलग-अलग मध्यस्थता खंड होने के मुद्दे से किया गया था।इस न्यायालय ने उसी पर विचार करते हुए दोनों खंडों में सामंजस्य स्थापित किया था और सुलह पर यह निर्णय दिया था कि पक्षों को मुख्य समझौते के तहत विवादों का समाधान करवाना चाहिए।उस संदर्भ में इसे इस प्रकार रखा गया थाः-

एफ.

"30. यदि ऐसी स्थिति है जहाँ मुख्य समझौते के संबंध में विवाद और मतभेद हैं और मुख्य समझौते के विषय-वस्तु से जुड़े "अन्य मामलों" के संबंध में भी विवाद हैं, तो ऐसी स्थिति में, हमारे विचार में, हम मुख्य समझौते के सामान्य मध्यस्थता खंड 39 द्वारा शासित होते हैं, जिसके तहत मुख्य समझौते के तहत विवाद और उससे जुड़े विवादों को उसी मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है।यह खंड 39 निस्संदेह किसी भी नामित मध्यस्थ का उल्लेख नहीं करता है।जहां तक आंतरिक डिजाइन समझौते के खंड 5 का संबंध है, यह उससे उत्पन्न होने वाले विवादों और मतभेदों को संदर्भित करता है।

जी.

एच.

समझौता जिसे नामित मध्यस्थों को संदर्भित किया जा सकता है और उक्त खंड 5, हमारी राय में, केवल ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां मुख्य समझौते के संबंध में कोई विवाद और मतभेद नहीं हैं और विवाद और मतभेद पूरी तरह से आंतरिक डिजाइन समझौते तक ही सीमित हैं।यह, हमारे विचार में, पक्षों का सच्चा इरादा है और यही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा मुख्य समझौते के खंड 39 में सामान्य मध्यस्थता प्रावधान और आंतरिक डिजाइन समझौते के खंड 5 में निहित एक नामित मध्यस्थ के लिए मध्यस्थता प्रावधान में सामंजस्य या सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।इसलिए, वर्तमान जैसे मामले में जहां विवाद और मतभेद मुख्य समझौते के साथ-साथ आंतरिक डिजाइन समझौते को भी शामिल करते हैं, (कि मुख्य समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले विवाद हैं और आंतरिक डिजाइन समझौता विवाद में नहीं है)-यह मुख्य समझौते में सामान्य मध्यस्थता खंड 39 है जो नियंत्रित करता है क्योंकि प्रश्न मुख्य समझौते और आंतरिक डिजाइन समझौते की अनुसूची में अतिव्यापी वस्तुओं से संबंधित विवादों के संबंध में भी उत्पन्न होते हैं, जैसा कि पहले विस्तृत किया गया था।दोनों समझौतों में ओवरलैप होने वाली वस्तुओं के संबंध में परस्पर विरोधी पुरस्कार नहीं हो सकते हैं।इस तरह की स्थिति पर पार्टियों ने कभी विचार नहीं किया था।जब उन्होंने मुख्य समझौते में खंड 39 और आंतरिक डिजाइन समझौते में खंड 5 को शामिल किया तो पक्षों का इरादा था कि पहला खंड उन स्थितियों पर लागू होना था जब दोनों समझौतों के तहत विवाद उत्पन्न होते थे और दूसरा ऐसी स्थिति पर लागू होना था जहां मुख्य अनुबंध के तहत कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न नहीं होते थे, लेकिन विवाद और मतभेद केवल आंतरिक डिजाइन समझौते तक ही सीमित थे।अग्रवाल इंग में इस न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता खंडों के साथ दो समझौतों वाला एक मामला सामने आया।को. वी.टेक्नोइम्पेक्स हंगेरियन मशीन इंडस्ट्रीज फॉरेन ट्रेड कं। दो अनुबंधों में मध्यस्थता खंड थे, एक अपीलार्थी को दो मशीनों की बिक्री के लिए और दूसरा अपीलार्थी को बिक्री प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के लिए।मामले के तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों खंड अलग-अलग संचालित होते हैं और यह निष्कर्ष बिक्री अनुबंध के विशिष्ट खंड पर आधारित था कि यह दोनों मशीनों के बिक्री लेनदेन का "एकमात्र भंडार" था।कृष्ण अय्यर, जे. ने अभिनिर्धारित किया कि यदि ऐसा था, तो बिक्री अनुबंध से परे यात्रा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।अपीलार्थी को बिक्री प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले अन्य समझौते की भाषा संभावित थी और एक बिक्री एजेंसी और "बाद की खरीद" से संबंधित थी, ए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मीडिया एलएलसी ए

1045

इन दो मशीनों की खरीद के अलावा।इसलिए कोई ओवरलैपिंग नहीं थी।हमारे सामने मामला और उपरोक्त मामला विपरीत स्थितियों का उदाहरण देता है।एक मामले में विवाद जुड़े हुए हैं और दूसरे में वे अलग हैं और जुड़े हुए नहीं हैं।इस प्रकार, वर्तमान मामले में मुख्य समझौते का खंड 39 लागू होता है।बिंदु 1 और 2 का निर्णय तदनुसार प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में किया जाता है।"

बी.

9. एक ही लेन-देन से संबंधित एक ही पक्ष के बीच दस्तावेजों के दो अलग-अलग सेट में मौजूद मध्यस्थता खंड पर ध्यान देने के बाद; सामंजस्य स्थापित करने या सामंजस्य स्थापित करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि तत्काल तथ्यों में कौन से खंड प्रासंगिक होंगे; हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम मध्यस्थता खंड को लागू करने के तरीके और उस विवाद की प्रकृति का उल्लेख करें जिसे पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए कहा गया था।उस संबंध में दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलेगा कि मामले में आवेदक ने मध्यस्थता खंड को लागू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी।दूसरी ओर प्रत्यर्थी की ओर से उसके वकील द्वारा दिनांकित 13.03.2020 (अनुलग्नक ए-41) का एक नोटिस आवेदक को जारी किया गया था जिसमें दिनांकित 31.03.2018 (अम्ब्रेला एग्रीमेंट/प्राइसिंग एग्रीमेंट) के समझौते के उल्लंघन का उल्लेख किया गया था और उक्त समझौते के खंड-23 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का अवसर प्रदान किया गया था; जिसमें विफल रहने पर यह संकेत दिया गया था कि प्रत्यर्थी 30 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी) से संपर्क करेगा।यह प्रत्यर्थी द्वारा 13.04.2020 पर जारी किए गए दिनांक 13.03.2020 के कथित नोटिस के जवाब में है, जिसमें आवेदक ने इसे मूल्य निर्धारण समझौते के रूप में संदर्भित करते हुए दिनांकित 31.03.2018 समझौते के तहत प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे पर विवाद किया।इसके अलावा, आवेदक ने इसके बाद अपने दावे की प्रकृति का उल्लेख किया और उस पर यह संकेत देने के लिए आगे बढ़ा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन और मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन अनुबंध की शर्तों के खंड-7 के अनुसार होगा जो सभी व्यक्तिगत अनुबंधों का हिस्सा होगा और उन्हें नियंत्रित करेगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

10. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जब दोनों, खरीद आदेश और मूल्य निर्धारण समझौता भी कायम रहता है और दोनों उक्त दस्तावेजों में मध्यस्थता खंड होते हैं जो एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, तो मध्यस्थता कार्यवाही की प्रकृति निर्धारित करने के लिए उक्त दो दस्तावेजों को सामंजस्य में पढ़ना होगा या सुलह करना होगा ताकि पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवाद की प्रकृति पर ध्यान दिया जा सके, जिसके लिए मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की आवश्यकता होगी और उसके बाद दोनों दस्तावेजों में मध्यस्थता खंड होते हैं जो एक दूसरे के समान नहीं हैं।

जी.

एच.

यह निष्कर्ष निकालना कि क्या अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर तत्काल आवेदन टिकाऊ होगा ताकि खरीद आदेश के खंड-7 को लागू करके एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सके; विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन पहले ही दिनांकित समझौते के खंड-23 के संदर्भ में किया जा चुका है।

11. इस पहलू को निर्धारित करने के लिए, इस तथ्य के अलावा कि प्रत्यर्थी दिनांकित 31.03.2018 समझौते के संदर्भ में मध्यस्थता खंड का आह्वान करने वाला पहला व्यक्ति था, यह देखा जाता है कि आवेदक द्वारा जारी दिनांकित 13.04.2020 उत्तर में यह आवेदक द्वारा मध्यस्थता खंड के आह्वान की प्रकृति में है।पैराग्राफ 6,7,8 और 9 की सामग्री पर ध्यान देना उचित होगा जो उस विवाद का सार है जिसके लिए मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की आवश्यकता होगी और जैसा कि नीचे पढ़ा गया है:

बी.

सी.

“6. मूल्य निर्धारण समझौते के तहत, जिसमें व्यक्तिगत अनुबंधों को नियंत्रित करने वाली कीमत और भुगतान की शर्तें शामिल हैं, उत्पादों को मेडिमा द्वारा सीआरयू/रयान के नोटों पर

छूट लागू करके अस्थायी बिक्री मूल्य पर खरीदा जाता है।जहां मूल्य निर्धारण समझौते में निर्दिष्ट खर्चों और शुल्कों की कटौती के बाद ग्राहक को अंतिम बिक्री मूल्य अनंतिम मूल्य से अधिक है, मेडिमा दोनों के बीच के अंतर को प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है।हालांकि, मूल्य निर्धारण समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्राहकों को बिक्री के लिए सभी जोखिम मेडिमा द्वारा वहन किए जाएंगे और इस तरह, मेडिमा को बालासोर से नुकसान की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है।7. दूसरी ओर, बालासोर अनंतिम मूल्य की 100% और इसके अलावा मेडिमा द्वारा वसूल की गई किसी भी राशि की वसूली का हकदार है।

डी.

ई.

एफ.

8. इस संदर्भ में, बालासोर ने मेदिमा को बार-बार बताया है कि मेदिमा द्वारा जारी किए गए बयान अधूरे हैं और सुलह के उद्देश्यों के लिए ग्राहक-वार आवश्यक विवरण नहीं हैं।

9. मेदिमा द्वारा समय-समय पर दिए गए अधूरे और गलत बयानों के आधार पर भी, यह स्पष्ट है कि मेदिमा मूल्य निर्धारण समझौते के तहत अनुमत से बहुत अधिक कटौती कर रहा है और इस तरह बालासोर को व्यक्तिगत अनुबंधों के तहत कानूनी रूप से देय राशि से वंचित कर रहा है।बालासोर द्वारा बार-बार उठाए गए कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं:

जी.

एच.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मीडिया एलएलसी ए

1047

ए.

1. कथित रूप से वास्तविक द्वितीयक लागत अनुबंधों की बुकिंग के समय मेडिमा द्वारा अनुमानित बजट और अनुमानों की तुलना में लगभग दोगुनी है।

2. मेडिमा द्वारा ग्राहकों को चालान किए गए उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता मेडिमा और बालासोर द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों से अलग है।

बी.

3. 60 दिनों से अधिक की वसूली में देरी के लिए क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए ब्याज को खर्च के रूप में नहीं काटा जा सकता है।

4. कमीशन शुद्ध बिक्री मूल्य पर लिया जाना चाहिए न कि अंतिम बिक्री मूल्य पर।”

सी.

12. निकाले गए हिस्से के बारीकी से अवलोकन से संकेत मिलता है कि आवेदक द्वारा मूल्य और व्यक्तिगत अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले भुगतान की शर्तों के संबंध में किया गया संदर्भ मूल्य निर्धारण समझौते के संदर्भ में है जो वास्तव में 31.03.2018 दिनांकित समझौता है।उस संदर्भ में, मूल्य निर्धारण समझौते के 5,8,9 और 10 शब्दों से संकेत मिलता है कि यह खरीद और बिक्री से संबंधित तंत्र प्रदान करता है; अंतिम मूल्य, अनंतिम मूल्य का भुगतान और अग्रिम का समायोजन, अंतिम बिक्री मूल्य का निर्धारण और मासिक लेखा और भुगतान।उसी पर ध्यान देने पर, आवेदक द्वारा निर्भर खरीद आदेश में अनुबंध की शर्तों का अवलोकन मूल्य निर्धारण के इस तरह के निर्धारण के लिए प्रदान नहीं करता है, सिवाय उस खरीद आदेश के जिसके लिए आदेशित मात्रा की कीमत और अस्थायी मूल्य आदि से संबंधित विशेष शर्तों का उल्लेख किया गया है। इसलिए, उस परिस्थिति में आवेदक द्वारा स्वयं दिनांकित उत्तर सूचना में उठाए गए विवाद की प्रकृति इंगित करेगी कि उन पहलुओं को दिनांकित समझौते में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है जो परिणामस्वरूप प्रत्येक खरीद आदेश के तहत किए जाने वाले भुगतान के लिए प्रासंगिक होंगे। इसलिए, भले ही अनुबंध की शर्तों के संबंध में विवाद उठाए जाते हैं, मूल्य निर्धारण, कटौती आदि मुख्य समझौते से संबंधित होंगे और इसके तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण व्यक्तिगत खरीद आदेश की अनुबंध शर्तों के तहत यदि कोई उत्पन्न होता है तो अन्य मुद्दों पर भी जा सकता है।13. हालांकि, इस तरह की समझ को दूर करने के प्रयास में, श्री मनिंदर सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की कि जबकि प्रत्यर्थी दिनांकित मूल्य निर्धारण समझौते पर निर्भर करता है, वास्तव में लेनदेन 08.08.2017 पर शुरू हुआ था और 21 खरीद आदेश 30.03.2018 यानी 31.03.2018 से पहले दिए गए थे, जिस तारीख को मूल्य निर्धारण समझौते को निष्पादित किया गया था और इस तरह

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

यह नहीं माना जा सकता है कि यह पहले के खरीद आदेशों पर लागू हुआ है।यद्यपि इस तरह का विवाद सामने रखा गया है, हम इसे स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि दिनांक 31.03.2018 के समझौते के खंड-20 (ए) में प्रावधान है कि समझौता 31.03.2017 से शुरू होगा और 31.03.2021 पर समाप्त होगा जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पक्षों का इरादा था कि समझौते में निहित शर्तें सभी लेनदेन को नियंत्रित करेंगी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो 08.08.2017 से शुरू हुए थे।इसके अलावा यह देखा गया है कि पार्टियों को पहले एक समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता था जो कि 2000 मीट्रिक टन की निश्चित मात्रा के लिए था, जबकि वर्तमान समझौता, पार्टियों के अनुसार, दीर्घकालिक आधार पर उस समय अवधि को निर्धारित कर रहा था जिसके लिए यह वैध था और व्यक्तिगत खरीद आदेशों को प्रत्येक लेनदेन के तहत आदेशित विशिष्ट मात्रा के लिए ध्यान में रखना होगा, जिसकी कीमत अंततः मूल्य निर्धारण समझौते के तहत प्रदान की गई थी।

बी.

सी.

14. मामले के उस दृष्टिकोण में, जब पक्षकारों ने दिनांक 1 का समझौता किया था और उसमें निहित नियमों और शर्तों के लिए सर्वसम्मति थी जो व्यापक है और लेन-देन की सभी शर्तों को शामिल करती है और ऐसे समझौते में एक मध्यस्थता खंड भी शामिल है जो खरीद आदेश में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड से अलग है जो अधिक विशिष्ट विवरणों के साथ उपज की आपूर्ति के सीमित उद्देश्य के लिए है जो दिनांक 1 के समझौते से उत्पन्न होता है; दिनांक 1 के मुख्य समझौते में खंड 23 में निहित मध्यस्थता खंड पक्षकारों को उस सीमा तक नियंत्रित करेगा जहां तक विवाद की वर्तमान प्रकृति है जो उनके द्वारा कीमत और भुगतान की शर्तों के संबंध में उठाई गई है जिसमें वसूली आदि शामिल हैं।उस दृष्टिकोण से, आवेदक के लिए खरीद आदेशों के खंड-7 को लागू करना अधिक उचित नहीं होगा, विशेष रूप से जब दिनांकित समझौते में निहित मध्यस्थता खंड को लागू किया गया है और श्री जोनाथन जैकब गास, श्री गौराब बनर्जी और सुश्री लुसी ग्रीनवुड वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पहले ही 22.06.2020 पर नियुक्त किया जा चुका है।

डी.

ई.

एफ.

एसएलपी **(**सी**) No.10264/2020**

जी.

15. तत्काल विशेष अनुमति याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की जाती है जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वाणिज्यिक मुकदमे No.59/2020 में वादी है।याचिकाकर्ता यहाँ

मध्यस्थता आवेदन No.15/2020 में याचिकाकर्ता है, जिसके बारे में यहाँ ऊपर चर्चा की गई है।मध्यस्थता आवेदन पर विचार करते समय ऊपर देखे गए तथ्यों से यह भी पता चलता है कि तीन मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास ए है।

एच.

बेलासोर एलॉयस लिमिटेड बनाम मेडिमा एलएलसी

1049

आई. सी. सी. द्वारा दिनांकित 22.06.2020 संचार के माध्यम से नियुक्त किया गया। न्यायाधिकरण का गठन दिनांकित 31.03.2018 समझौते के तहत मध्यस्थता प्रदान करने वाले खंड के आधार पर किया गया है।मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन से व्यथित होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने के आदेश की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है कि दिनांकित मूल्य निर्धारण समझौते का मध्यस्थता खंड-23 अमान्य है और उस संदर्भ में मुकदमे में सहायक राहत की मांग की गई है।उक्त मुकदमे में याचिकाकर्ता ने आई. सी. सी. द्वारा गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खिलाफ निषेधाज्ञा के अंतर्वर्ती आदेश की मांग करते हुए 'प्रस्ताव की सूचना' दायर की है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 12.08.2020 के एक विस्तृत निर्णय के माध्यम से अंतरिम आदेश के लिए अनुरोध को खारिज कर दिया है और 'प्रस्ताव की सूचना' को खारिज कर दिया गया है।उक्त आदेश से व्यथित होने का दावा करने वाले याचिकाकर्ता ने डिवीजन बेंच में एक अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसने विचार पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है, हालांकि अपील को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

बी.

सी.

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने और आक्षेपित आदेशों को पढ़ने के बाद हम इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, विशेष रूप से मध्यस्थता आवेदन No.15 2020 में प्रतिद्वंद्वी दलीलों को संबोधित करते हुए उसी विषय पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए।

डी.

17. परिणामस्वरूप, मध्यस्थता आवेदन No.15/2020 और SLP No.10264/2020 को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

ई.

कल्पना के. त्रिपाठी

मध्यस्थता आवेदन और एसएलपी खारिज कर दिए गए।

एफ.

जी.

एच.